

पंजीकृत कार्यालय

आईआईएफएल हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड सं. 16V,
प्लॉट नं. बी-23, ठाणे औद्योगिक क्षेत्र, वांगले एस्टेट, ठाणे - 400 604.
दूरभाष: (91-22) 4103 5000 | फैक्स: (91-22) 2580 6654

मुख्य व्यावसायिक कार्यालय

802, 8वीं मंजिल, हब टाउन सोलरिस, एन.एस.फडके मार्ग,
विजय नगर, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 069
दूरभाष: (91-22) 6788 1000 | फैक्स: (91-22) 6788 1010 | ई-मेल: reach@iifl.com | वेबसाइट: www.iifl.com

आवेदन पत्र

आवेदन का विवरण

ऋण की राशि
₹ 52,000.00

सीयूआईडी सं.
905C92AF

सीकेवाईसी सं.
-

राशि जारी करने की तिथि
21/Aug/2025

विवरणिका सं.

GL41398463

योजना

IIFL SPL 9M 191_RBT

राष्ट्रीयता

Indian

व्यवसाय का विवरण

आय का स्रोत

Agriculture and
Allied activities

ऋण का उद्देश्य

Consumptions

क्रियाकलाप का प्रकार

-

सकल वार्षिक आय

₹ 1,00,000.00

भूजोत (एकड़ में)

0.00

अन्य संबद्ध क्रियाकलाप

-

ऋण की श्रेणी

NON-PSU

व्यवसाय

AGRI-ALLIED ACTIVITIES

पहचान का विवरण

Pan -BCKPT5514K

जीएसटी सं.

-

व्यक्तिगत विवरण

आवेदक का नाम

Mr. Shivam Ravindra Pratap
Tripathi

लिंग

Male

योग्यता

GRADUATE

जन्मतिथि

25/08/1998

मोबाइल

*****6595

वैवाहिक स्थिति

UNMARRIED

पैन/फॉर्म 60

BCKPT5514K

पिता का नाम

Ravindra

विवाह पूर्व उपनाम

-

ई-मेल आईडी

-

माँ का नाम

Manju

जीवनसाथी का नाम

-

कितने सालों से वर्तमान निवास पर निवासरत हैं।

15.05

आवासीय पता

☐ संचार का प्राथमिक पता

milind nagar

शहर

Mumbai

पिनकोड

400055

राज्य

Maharashtra

लैंडमार्क

vakola pipe line

स्थायी पता

☒ संचार का प्राथमिक पता

milind nagar

शहर

Mumbai

पिनकोड

400055

राज्य

MH

लैंडमार्क

vakola pipe line

आवासीय दूरभाष

-

कार्यालय दूरभाष

-

बैंक का नाम

YES BANK LTD

बैंक शाखा का नाम

PALI HILL, BANDRA

खाता संख्या

045899500201174

आईएफएससी कोड

YESB0000458

खाताधारक का नाम

SHIVAM RAVINDRA PRATAP TRIPATHI

वीपीए आईडी

-

वीपीए नाम

-



ऋणग्राही की तस्वीर

व्यक्तिगत: (1) फोटो आईडी प्रूफ (2) निवास स्थान के प्रमाण

के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची, कृपया हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध केवाईसी डोक्युमेंटेशन पॉलिसी देखें <https://www.iifl.com/finance/kyc-policy>

मैं/हम, आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया ऊपर उल्लिखित ₹ 52,000.00 (Fifty Two Thousand) की राशि 21.94 ग्राम सोने के आभूषण (22 कैरेट के अनुसार आनुपातिक शुद्ध वजन) को सुरक्षा के रूप में लेकर प्रदान करें। यह आवेदन पत्र लेन-देन दस्तावेजों का हिस्सा है। गिरवी रखे गए आभूषणों का विवरण नीचे दिया गया है।

बंधक रखी गई वस्तुओं का विवरण (सोने के आभूषण और अन्य वस्तुएँ)

विवरण	इकाइयाँ	कैरट	कुल वजन (ग्राम)
MangalSutra	1.00	20	28.53
Total			28.53



गिरवी रखे गए आभूषणों का मूल्यांकन पिछले 30 दिनों के लिए 22 कैरेट सोने की औसत समापन कीमत जो अनुसार भारतीय सराफा और ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा उद्धृत की गयी है या विनियमित वस्तु विनियम्य द्वारा प्रकाशित ऐतिहासिक स्पॉट-गोल्ड कीमत के आधार पर अनुपातिक रूप से किया जाएगा।

22 कैरेट पर कुल अनुपातिक शुद्ध वजन: **21.94** ग्राम | मूल राशि : **₹ 52,000.00** (Fifty Two Thousand) | मूलधन देय तिथि: **21/08/2027** (मानक शर्तों के अधीन) पहली ब्याज देय तिथि: **21/05/2026 #** | अवधि: **24 Months** | ब्याज दर (नियत): **27.00 % per annum** | ब्याज भुगतान चक्र: **Nine-Month** | गणना का तरीका : **Simple Interest** | उद्देश्य: **Consumptions**

उधारकर्ता द्वारा स्वामित्व की घोषणा

1. मैं/हम यहां यह घोषणा और पुष्टि करते हैं कि नीचे उल्लिखित आभूषण मेरे स्वामित्व में हैं। मैंने/हमने संलग्न चालान/बिल के अनुसार उक्त आभूषण खरीदे हैं; और/या
2. वे हमारे पैतृक संपत्ति/स्व-प्राप्त हैं और विशेष रूप से मेरे/हमारे हैं और मैं/हम किसी भी व्यक्ति द्वारा आभूषणों के स्वामित्व पर दावा किए जाने की स्थिति में आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल) को मुआवजा देंगे।

आभूषण विवरण*	गहना 1	गहना 2	गहना 3	गहना 4	गहना 5	गहना 6	गहना 7	गहना 8	गहना 9	गहना 10
Jewel Detail										
Item Name	MangalSutra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Item Count	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purchase Date(If Available)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purchase cost(Approx) (If Available)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jeweller Details										
Shop Name(If Available)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Address (If Available)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phone number(If Available)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reason for bill/ invoice not being available	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Name of the person from whom gold is received (If Ancestral)	self	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date on which received (If Ancestral)	2025-08-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relationship of the person (If Ancestral)	Mother	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#इसके बाद ब्याज भुगतान की तिथियाँ ब्याज के भुगतान चक्र के अनुसार होंगी।
*आवश्यक हो, तो अलग शीट संलग्न करें।

शुल्कों की अनुसूची (सभी कर सहित)

विवरण	प्रसंस्करण शुल्क	समापन और आंशिक भुगतान शुल्क	एमटीएम शुल्क	बकाया सूचना शुल्क* ##	नीलामी शुल्क*	राज्य के अनुसार लागू पूर्वतांकन शुल्क	एसएमएस शुल्क प्रति तिमाही	बकाया राशि दंडात्मक शुल्क शुल्क
राशि / प्रतिशत	₹ 59.00	0.00 %	₹ 500	₹ 200 per Notice	₹ 1500	₹ 0.00	₹ 5.90	0.5 % p.m. (6 % p.a.)

* बकाया सूचना शुल्क और नीलामी शुल्क के संयुक्त उगाही प्रति ग्राहक लोन खाता ₹ 1500 तक सीमित होगी
(07/03/2024 से प्रभावी) (90 दिन में एक बार)

ब्याज का पूर्व भुगतान करने पर लागू छूट और दरों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

अगर भीतर भुगतान किया जाता है	छूट का प्रतिशत	प्रभावी ब्याज दर प्रति वर्ष	प्रभावी ईएमआई प्रति माह
1-30 days	4.08 %	22.92 %	₹ 993
31-60 days	1.80 %	25.20 %	₹ 1092
> 61 days	0.00 %	27.00 %	₹ 1170

अंतिम उपयोग की घोषणा

1. मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऋण की राशि का केवल आवेदन पत्र में वणित उद्देश्य के लिए, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा।
2. मेरे द्वारा मिथ्या/गलत घोषणा / सूचना की गलत बयानी के कारण या संबंध में आईआईएफएल को हुई किसी भी हानि या क्षति की स्थिति में मेरे द्वारा आईआईएफएल की हानिपूर्ति की जाएगी।
3. मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि मैं इन पैसों का उपयोग किसी भी रूप में सोना खरीदने (जिसमें कच्चा सोना, सोने की ईंट, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) की इकाइयां, और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयां शामिल हैं)

उद्घोषणा

मैं Mr. Shivam Ravindra Pratap Tripathi, अधोहस्ताक्षरी (एतदपश्चात सभी व्याकरणिक भिन्नताओं के साथ "मैं" या "ऋणग्राही" के रूप में संदर्भित किया गया है और इस शब्द में ऋणग्राही के उत्तराधिकारी, हस्तांतरित, प्रतिस्थापित, कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत समनुदेशित शामिल होंगे) अभ्यावेदन और घोषणा करता/करती हूँ कि (i) मैं भारत का/की नागरिक हूँ। (ii) मैंने ऋणशोधन अक्षमता हेतु कोई आवेदन नहीं किया है, न ही मुझे दिवालिया घोषित किया गया है और न ही मेरे खिलाफ कोई दिवालियापन/ऋणशोधन अक्षमता की कार्यवाही शुरू की गई है। (iii) इस आवेदन में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सत्य और सही है। (iv) मैंने किसी भी ऋणदाता या लेनदार के प्रति किसी भी अन्य ऋण के पुनर्भुगतान या किसी अन्य राशि के किसी पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट/बाकीदारी नहीं की है और मेरा नाम भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") की बाकीदारों/डिफॉल्टर्स की सूची और नियत ऋण गारंटी निगम ("ईसीजीसी") की सतर्कता सूची, धनशोधन रोधी या आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी की गई किसी सूची/अधिसूचना या आतंकवाद से संबंधित क्रियाकलापों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित किसी प्रतिबंध सूची में नहीं है। (v) मैं सोने के आभूषणों और अन्य वस्तुओं ("बंधक रखी गई वस्तुओं") का सच्चा और वैध स्वामी/स्वामिनी हूँ। (vi) मैं इसमें ऊपर दिए गए पते पर निवासरत हूँ और वह पता सभी पत्राचार का पता है और अगर मेरे पते या इस आवेदन के अंतर्गत प्रदान की गई किसी अन्य जानकारी में कोई परिवर्तन होता है तो मेरे द्वारा तुरंत आईआईएफएल को सूचित किया जाएगा। (vii) मैंने इस आवेदन के तहत मांगे गए ऋण पर लागू होने वाली मानक शर्तों को पढ़ा और समझा है। (viii) मैं समझता हूँ कि ऋण की स्वीकृति और इसके तहत कोई भी वितरण पूरी तरह से IIFL के विवेक पर निर्भर है, जिसके पास आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, और IIFL किसी भी प्रकार से आवेदन अस्वीकृत करने या मुझे इसकी सूचना देने में किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा। (ix) मैं स्वीकार करता/करती हूँ और सहमत हूँ कि आईआईएफएल और/या इसके समूह की कंपनियाँ इस आवेदन के साथ जमा की गई तस्वीरों और दस्तावेजों को बनाए रखने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं। (x) मैं इस प्रकार की कोई भी अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने का वचन देता/देती हूँ जो आईआईएफएल और/या इसके समूह की कंपनियों और/या इसके अभिकर्ताओं द्वारा मांगी जा सकती है। (xi) मैं/हम सहमति देते हैं/स्वीकृति देते हैं कि IIFL को उधारकर्ता के KYC और क्रेडिट संबंधित जानकारी/दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए मेरी/हमारी/एसे तीसरे पक्षों की सहमति है (जैसा कि आवश्यक है) जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ट्रांसयूनियन CIBIL, और अन्य संस्थाएं शामिल हैं, और आगे सहमति देते हैं कि IIFL स्वयं या अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से दी गई किसी भी जानकारी को सत्यापित कर सकता है, क्रेडिट संदर्भों की जांच कर सकता है, रोजगार विवरण की जांच कर सकता है और KYC संबंधित दस्तावेज़ या क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है ताकि समय-समय पर उधारकर्ता की वास्तविकता और/या क्रेडिट योग्यता का निर्धारण किया जा सके। (xii) ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) को आईआईएफएल द्वारा अपने सहयोगियों, नियामकीय निकायों, सरकार और क्रेडिट एजेंसियों और इस प्रकार के अन्य प्राधिकरणों के साथ जानकारी का आदान-प्रदान और सहभाजन करने पर कोई आपत्ति नहीं है जैसा कि आवश्यकता हो सकती है। अगर एक से अधिक ऋणग्राही हैं, तो प्रत्येक ऋणग्राही इस ऋण के अंतर्गत संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। (xiii) मुझे आईआईएफएल और/या इसकी समूह की कंपनियों और/या इसके अभिकर्ताओं द्वारा आईआईएफएल और/या इसकी समूह की कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों, पेशकशों और सेवाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से (टेलीफोन कॉल, एसएमएस /ईमेल, पत्र आदि सहित) जानकारी प्रदान करने पर कोई आपत्ति नहीं है और उपरोक्त उद्देश्य के लिए मैं आईआईएफएल और/या इसकी समूह की कंपनियों और/या इसके अभिकर्ताओं को अधिकृत करता/करती हूँ। (xiv) मेरे द्वारा पुष्टि की जाती है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा यथा निर्दिष्ट नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में संदर्भित अनचाहे संचार के संबंध में कानून मुझे इस प्रकार की जानकारी की जानकारी/संचार प्रदान करने पर लागू नहीं होंगे। (xv) मैं घोषणा करता/करती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि मैं/हम वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 ("जीएसटी अधिनियम") के नियमों और विनियमों के अंतर्गत पंजीकृत हूँ/हैं और/या अगर मैं/हम समय के सम्यक अनुक्रम में जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित हो जाता/जाती हूँ / जाते हैं और मैं/हम समय-समय पर मुझ पर/हम पर लागू इस प्रकार किसी भी नियम का पालन करेंगा/करेंगी/करेंगे और मेरे/हमारे द्वारा जीएसटी संबंधी विवरणों में किसी भी बदलाव की स्थिति में आईआईएफएल को अद्यतन जानकारी प्रदान की जाएगी, जिसे आईआईएफएल द्वारा इस प्रकार के परिवर्तन हेतु अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से भविष्य लक्षी प्रभाव के साथ लागू किया जाएगा। मैं स्वीकार करता/करती हूँ और सहमत हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा आईआईएफएल को प्रदत्त गलत/अशुद्ध/अशुद्ध जानकारी के चलते जीएसटी क्रेडिट की अप्राप्ति/अल्प प्राप्ति के लिए आईआईएफएल जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आईआईएफएल द्वारा लगाए गए शुल्कों के संबंध में जमा पत्र जारी किया जाता है, तो मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर कोई होगा, जिस महीने में विसंगति सूचित की गई है, उसके भीतर प्रत्यावर्त कर दिया जाएगा। अगर इसमें (किसी भी कारण से) सुधार नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आईआईएफएल के लिए कोई अतिरिक्त देनदारी (कर, ब्याज, अर्थदंड या अन्यथा) बनती है, तो मेरे द्वारा तुरंत आईआईएफएल को इस प्रकार की राशि का भुगतान और/या प्रतिपूर्ति की जाएगी। अगर, मेरे/हमारे द्वारा आईआईएफएल को जीएसटी से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की जाती है, आईआईएफएल द्वारा हमें 'अपनीकृत' माना जा सकता है और तदनुसार कार्यवाही की जा सकती है। ऋण दस्तावेज़ीकरण में 'सेवा कर', मूल्य वर्धित कर या वीएटी शब्दों का कोई भी संदर्भ जीएसटी के रूप में पढ़ा जाएगा और तदनुसार लागू दर के अनुसार करों को एकत्र किया जाएगा। (xvi) जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत माना गया है, ऋणग्राही न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष रूप से आईआईएफएल के निदेशकों और/या वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित है। (xvii) मैं न तो एक PEP (प्रमुख राजनीतिक हस्ती) हूँ और न ही RBI KYC निदेशों के अनुसार किसी PEP का परिवारिक सदस्य या करीबी सहयोगी हूँ।(xviii) उधारकर्ता समझता है और पुष्टि करता है कि ऋण आवेदन की प्रक्रिया एक सहायक प्रक्रिया है जिसमें IIFL का प्रतिनिधि उधारकर्ता को आवेदन पत्र/ऋण की शर्तों और नियम भरणे और आवेदन को पूरा करने में सहायता करेगा।

वचनबद्धता

मैंने/हमने आईआईएफएल में ऋण सुविधा के लिए आवेदन किया है। इस आवेदन का मूल्यांकन और प्रसंस्करण आईआईएफएल की आंतरिक नीति के अनुसार किया जाएगा। अगर मैं/हम आईआईएफएल की आंतरिक नीति का अनुपालन करने में विफल रहता/रहती हूँ / रहते हैं तो यह आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। आईआईएफएल ने मुझे/हमें योजना के बारे में पात्रता मानदंड, दस्तावेज़ प्रस्तुति आदि सहित विस्तार से अवगत कराया है।

उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत करते समय, मैं/हम अधोहस्ताक्षरी सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं कि सभी शुल्कों सहित ऋण संबंधी नियमों/शर्तों का विवरण मेरे/हमारे द्वारा पूरा पढ़कर समझ लिया गया है / मुझे/हमें (स्थानीय भाषा में) पढ़कर समझाया गया है और इस आवेदन पर मेरे/हमारे द्वारा भौतिक रूप से और/या इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर कर (लिक एक्सेस कर और/या देखें ओटीपी पुष्टिकरण, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर, आधार प्रमाणीकरण और ऐसे अन्य या और भी माध्यमों से जैसा कि उपलब्ध था और अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी अथवा मोबाइल नंबर का उपयोग कर मुझे/हमें जात था) द्वारा स्वीकार किया जाता है।

ओटीपी द्वारा हस्ताक्षरित : 136922531
कर्मचारी की आईडी और नाम : c243690-Shabnam Ramzan Qureshi
दिनांक और समय : 21/Aug/2025 15:05

कर्मचारी की घोषणा

ओटीपी के माध्यम से हस्ताक्षरित : 136922592
दिनांक व समय : 21/Aug/2025 15:06 PM
स्थान : Mumbai

ऋणग्राही(ऋणग्राहियों) के हस्ताक्षर

ऋणग्राही द्वारा घोषणा और ऋण की पावती (शाखा प्रति)

उधारकर्ता स्वर्ण ऋण के तहत ₹ 51941.00 (Rupees Fifty One Thousand Nine Hundred Forty One Only) की प्राप्ति स्वीकार करता है और इसकी पुष्टि करता है।

दिनांक 21/Aug/2025 15:06 PM

ओटीपी के माध्यम से हस्ताक्षरित : 136922592
दिनांक व समय : 21/Aug/2025 15:06 PM
स्थान : Mumbai

ऋणग्राही(ऋणग्राहियों) के हस्ताक्षर

उधारकर्ता ("उधारकर्ता" या "उधारकर्ता") यह समझता है और सहमत होता है कि उधारकर्ता आवेदन पत्र जमा करके एक या अधिक ऋणों के लिए आवेदन कर सकता है और आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ("आईआईएफएल" या "ऋणदाता") ऐसे ऋण प्रदान करने पर सहमत हो सकता है जो या तो इन मानक नियम और शर्तों ("मानक शर्तें") के अनुसार, आवेदन पत्र, एमआईटीसी और किसी भी अन्य दस्तावेज के साथ पढ़े जाएंगे जिन्हें पक्षों के बीच आदान-प्रदान किया गया है (सामूहिक रूप से इसे "लेन-देन दस्तावेज" कहा गया है)। यहां उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का अर्थ आवेदन पत्र, एमआईटीसी और लेनदेन दस्तावेजों में उल्लिखित अन्य शर्तों और शर्तों में दिया गया है। उधारकर्ता ने इन ऋणों का नियमन करने वाली सभी शर्तों और शर्तों को पढ़ा, समझा, सहमति, स्वीकृति और स्वीकार कर लिया है, जिसमें यहां उल्लिखित मानक शर्तें शामिल हैं। उधारकर्ता यह पुष्टि करता है कि इन मानक शर्तों को उधारकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है जो ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को सत्यापित करके किया जा सकता है। उधारकर्ता यह समझता है कि ओटीपी के माध्यम से ऐसा सत्यापन इन मानक शर्तों की स्वीकृति का निष्पत्ति प्रमाण होगा और यह उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

1. स्वीकृति और संवितरण

- 1.1 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत होता है कि ऋणदाता सोने के आभूषणों/गहनों के विरुद्ध ऋण ("ऋण") प्रदान/वितरित कर सकता है जो उधारकर्ता द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर आधारित है। उक्त ऋण एक या अधिक किश्तों के माध्यम से वितरित किया जा सकता है।
- 1.2 उधारकर्ता यह समझता है और सहमति देता है कि यदि ऋणदाता उधारकर्ता के ऋण के अनुरोध को स्वीकार करता है और ऋण को मंजूरी देता है, तो ऋणदाता उधारकर्ता के खाते में ऋण जमा कर सकता है, या ₹20,000 तक नकद में प्रदान कर सकता है (या लागू कानूनों द्वारा संशोधित राशि जैसी भी हो)।
- 1.3 उधारकर्ता समझता है और सहमत है कि ऋण की शर्तें, जिनमें ऋण राशि, ऋण की अवधि और पुनर्भुगतान की शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, मुख्य तथ्यों के विवरण, स्वीकृति पत्र और सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों (एमआईटीसी) में निदिष्ट होंगी, जिसकी उधारकर्ता द्वारा समीक्षा की गई है और स्वीकार कर लिया गया है।

2. ब्याज, अन्य शुल्क और भुगतान

- 2.1 उधारकर्ता यह समझता है और सहमति देता है कि ऋण पर ब्याज और शुल्क लेनदेन दस्तावेज में निदिष्ट होंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शुल्क में कोई भी परिवर्तन केवल उधारकर्ता को उचित सूचना देने और उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के बाद भविष्य में लागू किया जाएगा।
- 2.2 उधारकर्ता यह समझता है और सहमति देता है कि किसी भी अन्य कर और सभी अन्य करारोपण, शुल्क, जिसमें स्टॉप शुल्क और संबंधित पंजीकरण और फाइलिंग शुल्क शामिल हैं, जो सुविधा (जैसा कि लागू हो) से संबंधित हैं, वे उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे और यदि ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता के खाते पर कोई ऐसा खर्च किया जाता है, तो उधारकर्ता तुरंत उसको ऋणदाता को वापस कर देगा।
- 2.3 उधारकर्ता यह समझता है और सहमति देता है कि ब्याज वास्तविक/घटती देय राशि पर, तीन सौ पैसेठ (365) दिनों के वर्ष को मानकर लगाया जाएगा और ब्याज मासिक अंतराल पर देय होगा जब तक कि अन्यथा निदिष्ट न किया गया हो। उधारकर्ता यह समझता है और सहमति देता है कि यहां कुछ भी उल्लेखित होने के बावजूद, एक बार ऋण वितरित हो जाने के बाद, सात (7) दिनों के लिए न्यूनतम ब्याज ऋण पर लगाया जाएगा, भले ही उसे इस अवधि के भीतर चुका दिया जाए।
- 2.4 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत होता है कि लेन-देन दस्तावेजों के तहत ऋणदाता द्वारा निदिष्ट दंड शुल्क समय पर भुगतान करने में किसी भी विफलता की स्थिति में लगाया जाएगा।
- 2.5 ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा यह माना और स्वीकार किया जाता है कि ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा संबंधित देयता तिथि पर या उससे पहले प्रत्येक भुगतान (किसी व्यक्ति, प्रतिदाता या किसी कटौती के बिना स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय निधियों में) किया जाएगा और अगर वह कोई व्यावसायिक दिवस नहीं है, तब ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा पूर्ववर्ती व्यावसायिक दिवस पर भुगतान करना स्वीकार किया जाता है।
- 2.6 उधारकर्ता यह समझता है कि ऋणदाता ने जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण अपनाया है, जिसे ग्राहकों की प्रोफाइल और विभिन्न अन्य मापदंडों को ध्यान में रखकर तय किया गया है। नीति विवरण के लिए कृपया देखें www.iifl.com/finance/interest-rate-policy.
- 2.7 उधारकर्ता सहमत है और वचन देता है कि ऋण की पूरी मूल राशि, लेन-देन दस्तावेजों के तहत परिभाषित मूल देय तिथि पर एकमुश्त भुगतान (जिसे इसके बाद 'बुलेट पुनर्भुगतान' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के रूप में देय होगी

3. सोने के संबंध में शर्तें

- 3.1 उधारकर्ता यह समझता है, सहमत होता है और पुष्टि करता है कि उधारकर्ता सोने के आभूषणों/गहनों (जिनमें उस आभूषण में जड़े कीमती पत्थर या हीरे शामिल हैं) का पूर्ण स्वामी है और उनके सही स्वामित्व के साथ कब्जे में है, जिन्हें पहले और विशिष्ट शुल्क के रूप में ऋणदाता के पास गिरवी रखा गया है ('गिरवी रखे गए सामान') एक सील किए गए पैकेट में ऋणदाता के पास रखा जाएगा, और ऋणदाता के पक्ष में बनाए गए अधिकार के अलावा उन पर कोई अन्य बंधक, भार, शुल्क या दावा नहीं है।
- 3.2 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत होता है कि ऋणदाता को बिना कोई सूचना या जानकारी दिए, ऋण की अवधि के दौरान ऐसे सील किए गए पैकेटों को खोलने और गिरवी रखे गए सामान की गुणवत्ता की जांच (जिसमें पिघलाना/काटना/विनाशकारी परीक्षण या अन्य परीक्षण शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है) करने का अधिकार होगा, और यह सब उधारकर्ता के जोखिम और लागत पर कभी भी किया जा सकता है और उधारकर्ता इसके लिए सहमति प्रदान करता है। उधारकर्ता यह समझता है, इससे सहमत है और वचन देता है कि ऋणदाता के निष्कर्ष अंतिम और बाध्यकारी होंगे और उधारकर्ता किसी भी प्रकार से उन पर विवाद नहीं करेगा।
- 3.3 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत है कि गिरवी रखे गए सामान और उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी गई कोई अन्य सुरक्षा केवल तभी जारी की जाएगी जब उधारकर्ता द्वारा ऋण के तहत बकाया देय राशि का पूर्ण भुगतान ऋणदाता की संतुष्टि के साथ किया जाएगा।
- 3.4 उधारकर्ता यह पुष्टि करता है कि गिरवी रखे गए सामान का टाइलर/स्वामित्व दोषपूर्ण नहीं है और न ही किसी व्यक्ति द्वारा इसे किसी भी प्रकार से चुनौती दी गई है, और न ही गिरवी रखा गया सामान नकली या निम्न गुणवत्ता का है।
- 3.5 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत होता है कि चोरी या आग, बाढ़, भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण गिरवी रखे गए सामान के नुकसान की स्थिति में, ऋणदाता की देयता गिरवी रखे गए सामान के नुकसान की भरपाई के लिए उनके मूल्य के बराबर राशि तक सीमित होगी, जिसकी गणना ऋणदाता के अभिलेखों के अनुसार, ऋणदाता के सभी बकाया देयों को समायोजित करने के बाद की गयी हो। इसके अलावा, प्रतिस्थापन लागत को वजन और शुद्धता (जैसा कि ऋणदाता के अभिलेख में बनाए रखा गया है) के आधार पर और प्रकाशित डेटा के अनुसार सोने की वर्तमान तिथि की कीमत से गुणा करके गणना की जाएगी, और यह उधारकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगी। उधारकर्ता यह समझता है कि ऋणदाता उधारकर्ता के यहां गिरवी रखे गए सामान को आग, चोरी, दंगे, नागरिक अशांति, बाढ़ और अन्य जोखिमों से रक्षा के लिए बीमा कराने की आवश्यकता के लिए कह सकता है। इसके लिए ऋणदाता जिसे उपयुक्त समझे, और जिसे ऋणदाता द्वारा स्वीकार किया जा - एक प्रतिष्ठित बीमा कार्यालय में ऋणदाता के नाम पर पूर्ण बाजार मूल्य या ऐसा मूल्य जो ऋणदाता उपयुक्त समझे, के लिए बीमा कराना होगा, और ऐसे बीमा पर प्रीमियम के लिए प्राप्ति्यों की सभी पॉलिसियों को ऋणदाता को सौंपना होगा।
- 3.6 उधारकर्ता, ऋण के बंद हो जाने के बाद भी गिरवी रखे गए सामान के ऋणदाता के पास पड़े रहने के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए ऋणदाता को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। ऋण बंद होने के बाद, ऋणदाता को अपनी नीति के अनुसार (केवल उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में) गिरवी रखा गया सामान उधारकर्ता या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने का अधिकार होगा। उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, ऋणदाता की मृत्यु दावा निपटान नीति के अनुसार (ऋण के सभी बकाया राशि प्राप्त करने के बाद) कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान की पुष्टि करने के बाद राशि मुक्त करने की अनुमति दी जाएगी। उधारकर्ता/उत्तराधिकारी को ऋणदाता के पंरिसर के भीतर सौंपे गए गिरवी रखे गए सामान को सत्यापित करना होगा और किसी भी चिंता/प्रश्न को तुरंत ऋणदाता के ध्यान में लाना होगा। उधारकर्ता/उत्तराधिकारी के परिसर छोड़ने के बाद ऋणदाता किसी भी चिंता/प्रश्न/शिकायत को स्वीकार नहीं करेगा।
- 3.7 उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, उसका कानूनी उत्तराधिकारी/वाटिस सभी ऋण देयताओं का भुगतान करके गिरवी रखे गए सामान को भुनाने का हकदार होगा। ऋणदाता की देख-रेख में रखे गए गिरवी सामान की वापसी ऋणदाता को सभी बकाया भुगतान के खिलाफ सशर्त होगी।

4. बंधक रखी गई वस्तुओं का मूल्यांकन

- 4.1 ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा यह माना और स्वीकार किया जाता है कि बंधक रखी गई वस्तुओं का ऋणदाता द्वारा अधिकृत और नियुक्त एक पारखी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और ऋणदाता द्वारा पारखी द्वारा प्रदान की गई मूल्यांकन रिपोर्ट में निदिष्टानुसार बंधक रखी गई वस्तुओं के मूल्य के आधार पर ऋण की राशि का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार का मूल्य समय-समय पर बंधक रखी गई वस्तुओं के बाजार मूल्य के अधीन होगा।
- 4.2 उधारकर्ता यह समझता है, सहमत है और पुष्टि करता है कि ऋणदाता के अभिलेखों में दर्ज गिरवी रखे गए सामान का मूल्यांकन उधारकर्ता के लिए स्वीकार्य, निष्पक्ष, अंतिम और बाध्यकारी है, और इसे किसी भी प्रकार से, किसी भी समय विवादित नहीं किया जाएगा।
- 4.3 गिरवी रखे गए सोने का मूल्य भारतीय बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा उद्धृत पिछले 30 दिनों के लिए 22 कैरेट सोने की औसत समापन कीमत या विनियमित वस्तु विनिमय द्वारा प्रकाशित ऐतिहासिक स्पॉट-गोल्ड कीमत (वार्षिक औसत कीमत) का उपयोग करके निर्धारित किया गया है।
- 4.4 ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा यह माना और स्वीकार किया जाता है कि अगर बंधक रखी गई वस्तु नकली या झूठी या कम शुद्धता वाली, या चुराई गई पाई जाती है, तो ऋणदाता यथोचित जाँच/आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसके कारण, अगर ऋणदाता द्वारा कोई नुकसान उठाया जाता है, तो ऋणग्राही इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा/होंगे।
- 4.5 ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा यह माना और स्वीकार किया जाता है कि किसी भी मूल्यांकन उद्देश्य के लिए बंधक रखी गई वस्तुओं में से केवल स्वर्ण घटक पर ही विचार किया जाएगा और ऋणदाता द्वारा हानि प्रतिस्थापन के समय सहित किसी भी समय आभूषणों/गहनों में जड़े पत्थर या हीरे के मूल्य पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. माजिन (एमटीएम)

- 5.1 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत है कि वह सुनिश्चित करेगा कि ऋण खाते में कुल बकाया राशि हमेशा गिरवी रखे गए सामान के मूल्य का 90% से अधिक न हो, जैसा कि ऋणदाता के अभिलेखों में दर्ज रखा गया है, या समय-समय पर ऋणदाता द्वारा निदिष्ट ऐसा अन्य प्रतिशत ('माजिन')।
- 5.2 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत होता है कि गिरवी रखे गए सामान के मूल्य की नियमित आधार पर निगरानी की जाएगी और यदि गिरवी रखे गए सामान का मूल्य माजिन आवश्यकताओं से कम होता है, तो ऋणदाता अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराने या ऋण के आंशिक या पूर्ण भुगतान की मांग कर सकता है और उधारकर्ता ऐसी मांग पर तुरंत अमल करना होगा।
- 5.3 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत होता है कि उधारकर्ता द्वारा अतिरिक्त माजिन आवश्यकताओं का पालन न करने की स्थिति में, हर ऐसे उल्लंघन के लिए अतिरिक्त माजिन की कमी के शुल्क ऋणदाता द्वारा लगाए जाएंगे और उधारकर्ता द्वारा बिना किसी देरी, आपत्ति या विरोध के इस शुल्क का भुगतान करेगा।
- 5.4 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत होता है कि यहां उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, यदि ऋणदाता को लगता है कि गिरवी रखे गए सामान का मूल्य उधारकर्ता की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है या ऐसी कोई परिस्थिति है जो उधारकर्ता की इन मानक शर्तों के तहत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, तो ऋणदाता किसी भी समय, यहां तक कि अवधि की समाप्ति से पहले भी, नीलामी द्वारा गिरवी रखे गए सामान को बेच सकता है और उधारकर्ता इसके लिए सहमति देता है और किसी भी प्रकार से, किसी भी समय इस पर कोई विवाद नहीं खड़ा करेगा।

6. प्रसंविदाएँ

- 6.1 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत होता है कि वह ऋणदाता को सभी नुकसानों, खर्चों, शुल्कों, हानियों, लागतों और देनदारियों (तीसरे पक्ष के दावों के कारण भी) से मुक्त रखेगा और हानि रहित रखेगा, जो किसी भी लेन-देन दस्तावेजों का उल्लंघन करने या ऋण या गिरवी रखे गए सामान के संबंध में किसी भी गलत बयानी के परिणामस्वरूप ऋणदाता द्वारा किए गए हैं। उधारकर्ता यह समझता है और सहमत है कि उधारकर्ता ऋण के संबंध में किसी भी लागत और खर्च, जिसमें प्रतिभूतियों का बीमा करने की लागत, प्रवर्तन लागत, सभी कटौत और किसी भी अन्य सरकारी शुल्कों की बकाया राशि की निकासी आदि शामिल हैं, के लिए भी बिना किसी देरी, आपत्ति या विरोध के ऋणदाता को प्रतिपूर्ति करेगा।
- 6.2 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत होता है कि उधारकर्ता ऋण का उपयोग केवल आवेदन पत्र में बताए गए उद्देश्य के लिए करेगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, जैसे कि पूंजी बाजार में निवेश करना, कोई सट्टा या अवैध कार्य या कोई सामाजिक उद्देश्य या किसी भी रूप में सोना खरीदना (प्राथमिक सोना, सोने के बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिकके, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयां शामिल हैं) या उन गतिविधियों में से किसी के लिए नहीं, जो निषेध सूची में उल्लिखित हैं। यह निषेध सूची www.iifl.com/finance/exclusion-list पर उपलब्ध है या इसके अतिरिक्त समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- 6.3 उधारकर्ता यह समझता है, सहमत है और स्वीकार करता है कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 या किसी अन्य लागू कानून या लेन-देन दस्तावेजों में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा चुकाई गई राशि सबसे पहले ब्याज, शुल्क, लागत, खर्च और अन्य धनराशि की अदायगी और अंत में मूलधन राशि के पुनर्भुगतान की वसूली की जाएगी।
- 6.4 ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा यह माना और स्वीकार किया जाता है कि ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा समय-समय पर ऋणदाता द्वारा यथा आवश्यक सभी दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा और ऋणदाता द्वारा स्वयं या अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से दी गई किसी भी जानकारी का सत्यापन किया जा सकता है, केडिट संदर्भों, रोजगार संबंधी विवरणों की जांच की जा सकती है और समय-समय पर ऋणदाता द्वारा आवश्यक मानी गई केडिट रिपोर्टों या किन्हीं अन्य सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है।
- 6.5 उधारकर्ता सहमत होता है कि ऋणदाता को किसी भी समय, अपनी एकमात्र विवेकाधिकार में, उधारकर्ता को 30 (तीस) दिन की लिखित नोटिस देकर ऋण की वापसी करने का अधिकार होगा। यह निर्दिष्ट किया जाता है कि यहां निर्धारित अनुसूची में उल्लिखित पुनर्भुगतान, ऋणदाता के पूरे ऋण को वापस किये जाने और बकाया ऋण के भुगतान की मांग करने के अधिकार पर प्रभाव डाले बिना है।
- 6.6 उधारकर्ता किसी भी नाम, पते या उधारकर्ता से संबंधित किसी अन्य जानकारी में परिवर्तन होने पर तुरंत ऋणदाता को सूचित करेगा।
- 6.7 उधारकर्ता यह घोषणा करता है और समझता है कि गिरवी रखे गए सामान का मूल्यांकन भारतीय बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा उद्धृत पिछले 30 दिनों के लिए 22 केरेट सोने की औसत समापन कीमत पर किया जाएगा।
- 6.8 उधारकर्ता सहमत होता है और यह वचन देता है कि उधारकर्ता ऋण की अवधि के दौरान भारत के बाहर कोई भी रोजगार/व्यवसाय/दीर्घकालिक प्रवास करने से पहले, यदि यह मूलधन देय तिथि के साथ मेल खाता है, तो ऋणदाता को सूचित करेगा ताकि उधारकर्ता से उपयुक्त दस्तावेज अग्रिम में एकत्र किए जा सकें, जिससे उनके विदेश में प्रवास के दौरान सोने के आभूषणों की लोटाजा संभव हो सके।

7. बाकीदारी/डिफॉल्ट की घटनाएँ

- 7.1 उधारकर्ता यह समझता है, सहमत होता है और स्वीकार करता है कि निम्नलिखित को चूक की घटना ("चूक की घटनाएं") के रूप में माना जाएगा:
- i. ऋण की मूल राशि, ब्याज, दंड शुल्क, शुल्क, फीस का नियत तिथि पर भुगतान न करना; या
 - ii. ऋण का निष्पन्न करने वाली किसी भी मानक शर्त का उल्लंघन और/या ऋणदाता के निर्देशों का पालन करने में विफलता; या
 - iii. यदि उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी गई कोई भी जानकारी/प्रतिनिधित्व/घोषणाएं झूठी, भ्रामक या गलत पाई जाती हैं; या
 - iv. ऋणदाता, किसी बैंक और/या वित्तीय संस्थान और/या अन्य ऋणदाताओं के साथ उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी भी लेन-देन दस्तावेजों के तहत कोई भी चूक, चाहे वह ऋण दस्तावेजों के तहत हो या इसके विपरीत; या
 - v. उधारकर्ता ऋण के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए ब्याज, लागत, शुल्क और उस पर बकाया सभी अन्य धनराशि सहित ऋणदाता द्वारा आवश्यक रूप और तरीके में ऋणदाता की संतुष्टि के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहता है; या
 - vi. उधारकर्ता को दिवालिवा या जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने या उसके खिलाफ कोई आदेश पारित करने के लिए किसी भी कार्यवाही की शुरुआत या धमकी; या
 - vii. उधारकर्ता की मृत्यु, मनोदोग के कारण मानक शर्तों के तहत उधारकर्ता की बाध्यताओं को पूरा करने में विफलता, दिवालिवापन, व्यवसाय में असफलता या दिवालिवा होना; या
 - viii. उधारकर्ता या गिरवी रखे गए सामान के खिलाफ कोई जब्ती की प्रक्रिया, संकट, निष्पादन या अन्य प्रक्रिया; या
 - ix. ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना गिरवी रखे गए सामान पर किसी भी प्रकार का बंधक या शुल्क या अधिभार बनाने या बनाने का प्रयास करने की कोई घटना; या
 - x. गिरवी रखे गए सामान के मूल्य में कमी; या
 - xi. ऋणदाता की राय में, उधारकर्ता की किसी भी धोखाधड़ी का पता लगना या संदेह होना; या
 - xii. किसी भी ऐसी परिस्थिति का अस्तित्व जो ऋणदाता की राय में, ऋणदाता के हितों को खतरे में डालता है।
 - xiii. यदि गिरवी रखे गए सामान का मूल्य बाजार मूल्य में परिवर्तन या किसी अन्य कारण से समय-समय पर निर्धारित आवश्यक मार्जिन से कम हो जाता है, तो
- 7.2 उधारकर्ता यह समझता है, सहमत होता है और स्वीकार करता है कि उपरोक्त में से किसी भी घटना के घटित होने पर, ऋणदाता निम्नलिखित कर सकता है:
- a. उधारकर्ता से तुरंत ऋण की बकाया राशि के साथ ब्याज और लेन-देन दस्तावेजों के अनुसार देय सभी राशि का भुगतान करने के लिए कह सकता है;
 - b. उधारकर्ता से सभी दावों, लागतों, हानियों और खर्चों का भुगतान करने के लिए कह सकता है जो उधारकर्ता की किसी भी कार्रवाई या चूक के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण के संबंध में और/या बकाया राशि की वसूली के लिए (जिसमें कानूनी/वकील का शुल्क शामिल है) और/या लेन-देन दस्तावेजों के तहत किसी भी शर्त और शर्तों का पालन करने में विफलता के कारण किए जा सकते हैं;
 - c. उधारकर्ता से उसके स्वामित्व वाले अतिरिक्त सोने के आभूषण आदि पर सिक्युरिटी देने की मांग कर सकता है या वैकल्पिक रूप से मार्जिन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए धनराशि हस्तांतरित कर सकता है;
 - d. गिरवी रखे गए सामान की नीलामी कर सकता है:
 - i. नीलामी का आयोजन ऋणदाता द्वारा एक स्थानीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र में और एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में एक विज्ञापन देकर, और उधारकर्ता को 10 (दस) व्यापारिक दिनों की नोटिस देकर किया जाएगा, जिसे उधारकर्ता भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 176 के प्रयोजनों के लिए उचित अवधि मानता है। उधारकर्ता यह समझता है और सहमत है कि नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य पिछले 30 दिनों की 22 केरेट सोने की औसत समापन कीमत के 85% से कम नहीं होगी, जो कीमत भारतीय बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा घोषित की गयी है या विनियमित कम्पोजीट एक्सचेंज द्वारा प्रकाशित ऐतिहासिक स्पाट गोल्ड कीमत (वार्षिक औसत कीमत) है।
 - ii. उधारकर्ता को पंजीकृत पत्र/कूरियर सेवा, एसएमएस या टेलीफोन या व्यक्तिगत सूचना या ईमेल या किसी अन्य संचार माध्यम के जरिये से गिरवी रखे गए सामान की सार्वजनिक नीलामी के इरादे के बारे में सूचित किया जाएगा।
 - iii. नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक और समय-समय पर अन्य संबंधित नियामक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी।
 - iv. गिरवी रखी गयी चीजों की बिक्री से प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल लोन के अंतर्गत बकाया राशि के भुगतान के लिये किया जायेगा और इस प्रक्रिया में प्राप्त धनराशि अगर बकाया राशि चुकाने के लिये पर्याप्त न हो, तो ऋणदाता को अपने स्वतंत्र निर्णय के अनुसार आगे कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। अगर नीलामी द्वारा प्राप्त धनराशि कर्जदार की बकाया राशि से अधिक हो, तो प्राप्त की गयी अतिरिक्त धनराशि कर्जदार द्वारा ऋणदाता की संबद्ध गोल्ड लोन शाखा पर बैंक विवरणों की पुष्टि के अधीन कर्जदार को लौटा दी जायेगी। लेकिन अगर किसी अन्य सक्रिय गोल्ड लोन खाते से कोई अन्य राशि बकाया हो, तो उसे अतिरिक्त राशि में से चुकाने के बाद शेष राशि, यदि कोई हो, गोल्ड लोन कर्जदार को लौटा दी जायेगी।
 - v. विस्तृत जानकारी और नीलामी में भागीदारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <https://www.iifl.com/auction> पर जाएं।
- 7.3 यदि उधारकर्ता ऋण के संबंध में किसी भी राशि के भुगतान या पुनर्भुगतान में चूक करता है, तो ऋणदाता के पास यह अधिकार होगा कि वह उधारकर्ता, अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझ कर उसके निदेशकों, भागीदारों, जैसा भी मामला हो, के नाम और चूक के विवरण को प्रकट या प्रकाशित करे।

8. अतिरिक्त सुविधाएँ

- 8.1 कर्जदार समझता और स्वीकार करता है कि कर्जदार ऑनलाइन सिक्योर प्लेटफॉर्म (ऑनलाइन सेवा) का इस्तेमाल करके या ऋणदाता के टोल-फ्री नंबरों पर कॉल करके अन्य/अतिरिक्त सेवाएँ (ऑनलाइन सेवा) ले सकता है। ऋणदाता अपने स्वतंत्र निर्णय पर इस प्रकार का अतिरिक्त ऋण कर्जदार को दे सकता है, बशर्ते कि कर्जदार ऋणदाता की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करे और आवश्यकतानुसार सभी दस्तावेज/जानकारियाँ जमा करे। कर्जदार समझता और स्वीकार करता है कि कर्जदार द्वारा ऋणदाता से समय-समय ली जाने वाली किसी भी अन्य गोल्ड लोन सेवा के संबंध में ऋणदाता के पास गिरवी रखी वस्तुओं और उनसे मिलने वाली धनराशि का ग्रहणाधिकार है।

9. विविध

- 9.1 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत है कि उधारकर्ता द्वारा कोई भी नोटिस लिखित रूप में ही दी जाएगी। सभी प्रकार के नोटिस या अनुरोध को उनके द्वारा विधिवत प्राप्त माना जाएगा जिस पक्ष को यह संबोधित है यदि वह नीचे निर्दिष्ट किसी भी पते या आपसी सहमति से तय पते पर पर भेजा गया है या दिया गया है:
- ऋणदाता के लिए:
पंजीकृत कार्यालय: आईआईएफएल हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड नं. 16V, प्लॉट नं. बी-23, ठाणे औद्योगिक क्षेत्र, चांगले एस्टेट, ठाणे - 400 604.
कॉर्पोरेट कार्यालय: 802, 8वीं मंजिल, हब टाउन सोलरिस, एन.एस.फड़के मार्ग, विजय नगर, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 069
• उधारकर्ता के लिए:
संचार पता: जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लिखित है।
- 9.2 ऋणदाता द्वारा नोटिस को पंजीकृत डाक/कूरियर/अन्य डिलीवरी मोड द्वारा भेजे जाने के 48 घंटे बाद वितरित माना जाएगा और यदि इसे ई-मेल या अन्य लिखित या डिजिटल किए गए इलेक्ट्रॉनिक संचार के रूप में भेजा गया है, तो इसे भेजे जाने के समय वितरित माना जाएगा। उधारकर्ता को कार्यालय/आवासीय पता और ई-मेल पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना तत्काल ऋणदाता को देनी होगी। यदि उधारकर्ता द्वारा गलत संचार पता प्रदान किया गया है या तकनीकी कारणों से उधारकर्ता को बयान प्राप्त नहीं होता है, तो ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9.3 ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा यह माना और स्वीकार किया जाता है कि लेन-देन दस्तावेजों या उनके निष्पादन से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी दावों और विवादों को ऋणदाता द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकल मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता कर निपटारा जाएगा। मध्यस्थता का स्थान मुंबई में होगा। यह मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसमें तत्समय किसी भी सांविधिक संशोधन के प्रावधानों या पुनः अधिनियमन के अंतर्गत आयोजित की जाएगी और इस प्रकार के मध्यस्थता निर्णय अंतिम और ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) और ऋणदाता के लिए बाध्यकारी होगा।
- 9.4 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत है कि सभी लेन-देन केवल व्यवसायिक दिनों में ऋणदाता की नियमित कार्य अवधि के दौरान ही किए जाएंगे।
- 9.5 यदि इन शर्तों का कोई प्रावधान सक्षम न्यायालय द्वारा कानून के विपरीत माना जाता है, तो इन शर्तों के अन्य शेष प्रावधान पूरी शक्ति और प्रभाव में बने रहेंगे।

10. सह-ऋण

- 10.1 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत है कि ऋणदाता ने (a) केनरा बैंक, (b) डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, (c) सीबीबी बैंक लिमिटेड, (d) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, (e) इंडियन ओवरसीज बैंक, (f) कठर वैश्य बैंक लिमिटेड, (g) साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (h) यूको बैंक, (i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और (j) कुछ अन्य बैंकों के साथ सह-ऋण व्यवस्था में प्रवेश किया है, जो आरबीआई द्वारा 5 नवंबर, 2020 को जारी 'बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को सह-ऋण' ('सह-ऋण दिशानिर्देश') नामक अधिसूचना के अनुसार है। इसके अनुसार ऐसे बैंक ('बैंक') इन मानक शर्तों के तहत प्रदान किए गए ऋण में भाग लेने का विकल्प अपना सकते हैं और ऋणदाता के साथ सह-ऋणदाता बन सकते हैं, जिसमें ऋणदाता द्वारा उधार दी जाने वाली कुल मूलधन का 80% ('बैंक योगदान') शामिल होगा और ऋण का यह हिस्सा बैंक को ('बैंक की भागीदारी') पूर्णतः और हमेशा के लिए हस्तांतरित किया जाएगा, ताकि बैंक को बैंक की भागीदारी की सीमा तक पूर्ण और संपूर्ण मालिक माना जाएगा और इस प्रकार वह कानूनी और लाभकारी रूप से ऋण के इस हिस्से का निर्बाध हकदार होगा। इसके अलावा, बैंक द्वारा ऋणदाता को बैंक योगदान के हस्तांतरण पर, ऋण की शर्तों को इस प्रकार हस्तांतरित/नियंत्रित किया जाएगा कि उक्त बैंक इन मानक शर्तों के तहत ऋण का सह-ऋणदाता बन जाएगा और इसे ऋणदाता के साथ सह-ऋणदाता के रूप में इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया हुआ माना जाएगा। तदनुसार, उक्त बैंक को ऋण के ऋणदाता के रूप में मानक शर्तों के तहत सभी अधिकार लागू करने का अधिकार होगा। उधारकर्ता ब्याज गणना को ले कर संबंधित निम्नलिखित बातों को समझता है और सहमत होता है:
- a. उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज की दर की सरल प्रतिफल आधार पर गणना की जाएगी।
- b. ब्याज मासिक गणना के आधार पर या या ऋणदाता और सह-ऋणदाता बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य आवृत्ति के अनुसार लगाया जाएगा, जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है। ऐसी निर्दिष्ट आवृत्तियां मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, नौ-मासिक, ग्यारह-मासिक या वार्षिक हो सकती हैं।
- c. इसके अलावा, एक बार लगाया गया ब्याज लेन-देन दस्तावेजों की शर्तों के तहत निर्धारित पुनर्भूतान आवृत्ति के अनुसार देय और भुगतानयोग्य हो जाएगा।
- 10.2 सह-ऋणदान व्यवस्था व्यवस्था के बावजूद, ऋणदाता कर्जदार की सभी लोन संबंधी जटिलताओं के लिये एकमात्र संपर्क बिंदु होगा। सह-ऋणदाता बैंक की भूमिका लागू नियमों के अनुसार होगी।
- 10.3 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत है कि उधारकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी को ऋणदाता और संबंधित बैंक, उनके सेवा प्रदाताओं और/या ठेकेदारों के कंप्यूटरों पर कुछ मूल्य वधित सेवाएं प्रदान करने, सांख्यिकीय विश्लेषण आदि के लिए रखा और संसाधित किया जा सकता है। उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उसने उधारदाता की गोपनीयता नीति को पढ़ा, समझा और सहमति दी है।
- 10.4 उधारकर्ता यह समझता है और सहमत है कि यहां सह-ऋण व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए, ग्राहक को जाने (KYC) और उधारकर्ता से संबंधित विवरणों को बैंक के साथ साझा करना आवश्यक है। प्रतिज्ञा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके, उधारकर्ता ऋणदाता को बैंक के साथ इस सह-ऋण व्यवस्था में प्रतिभागी के रूप में ऐसी जानकारी साझा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है। उधारकर्ता, ऋणदाता और संबंधित बैंक को उधारकर्ता के व्यक्तिगत विवरणों को तीसरे पक्ष/पक्षों के साथ ऐसे उद्देश्य के लिए, जिसमें गोप्य मूल्यंकन, क्रेडिट आकलन, पुरुषभूमि सत्यापन, विश्लेषण, विपणन, धोखाधड़ी रोकथाम, क्रेडिट जांच, ऋण सेवा, भुगतान प्रसंस्करण, ऋण संग्रह गतिविधियां आदि शामिल हैं, को साझा करने के लिए अधिकृत करता है, जिसे ऋणदाता आवश्यक समझता है। ऋणदाता और संबंधित बैंक, यदि आवश्यक समझें तो उधारकर्ता और/या ऋण जानकारी को भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य वैधानिक/नियामक प्राधिकरणों, मध्यस्थ, क्रेडिट ब्यूरो, स्थानीय प्राधिकरण, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सूचना उपयोगिता, विपणन एजेंसियों, सेवा प्रदाताओं, या अपने सहयोगियों के साथ भारत में या अन्यथा सेवा की पेशकश, जोखिम प्रबंधन, व्यापार उद्देश्यों आदि के लिए साझा कर सकते हैं।

11. सूचना और प्रकट करने का खंड

- 11.1 उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को समय-समय पर प्रदान की गई सभी जानकारी और डेटा सत्य और सही होगा।
- 11.2 उधारकर्ता द्वारा आईआईएफएल के साथ साझा की गई सभी जानकारी को आईआईएफएल द्वारा तैयार की गई नीतियों के अनुसार लागू कानूनों सहित, लेकिन इन तक सीमित नहीं, गोपनीयता नीति के अनुसार बनाए रखा जाएगा और बाद में नष्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि विवरण <https://www.iifi.com/finance/privacy-policy> पर उपलब्ध है।
- 11.3 उधारकर्ता ऋणदाता को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ('संहिता') की धारा 3 (13) में परिभाषित 'वित्तीय जानकारी' को, (संहिता के तहत तैयार किए गए प्रासंगिक विनियमों/नियमों के साथ पढ़ी गई, समय-समय पर संशोधित और लागू की गई), ऋणदाता से प्राप्त ऋण के संबंध में, किसी भी सूचना उपयोगिता ('आईयू') को, जैसा कि संहिता की धारा 3 (21) में परिभाषित किया गया है, के समक्ष प्रकट/प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट सहमति देता है और विशिष्ट रूप से इसकी सहमति देता है कि जब भी संबंधित आईयू द्वारा अनुरोध किया जाए ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय जानकारी को तुरंत प्रामाणिक करे।
- 11.4 उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि उधारकर्ता ने आईआईएफएल को तीसरे पक्षों से उधारकर्ता की केवाईसी क्रेडिट संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सहमति दी है, जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्रेडिट एजेंसियां और अन्य संस्थाएं शामिल हैं और वह आगे इसकी सहमति देता है कि आईआईएफएल स्वयं या अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से, दी गई किसी भी जानकारी को सत्यापित कर सकता है, क्रेडिट संदर्भों की जांच कर सकता है, रोजगार विवरण और केवाईसी संबंधित दस्तावेज या क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है ताकि उधारकर्ता की वास्तविकता और/या समय-समय पर उधारकर्ता से देय की वसूली के लिए क्रेडिट योग्यता निर्धारित की जा सके। उधारकर्ता आगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या किसी अन्य ऐसे तीसरे पक्ष को आईआईएफएल के साथ उधारकर्ता के संबंध में जानकारी साझा करने के लिए सहमति देता है। उधारकर्ता आईआईएफएल को केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करके सीकेवाईसीआर से रिकॉर्ड प्राप्त करने और डाउनलोड करने की सहमति और उसका अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा, उधारकर्ता आईआईएफएल के विभिन्न उत्पादों के बारे में किसी भी अन्य जानकारी को कॉल/मेल/पत्रों या किसी अन्य संचार माध्यम से प्राप्त करने के लिए सहमति देता है।
- 11.5 इसके अलावा, ऋणदाता, जैसा कि वह उचित और आवश्यक मान सकता है, सभी या किसी भी:
- a. उधारकर्ता, ऋण, लेन-देन दस्तावेज और गिजवी रंगे गए सामान से संबंधित जानकारी और डेटा;
- b. उधारकर्ता द्वारा उपरोक्त दायित्वों को पूरा करने में की गई चूक का विवरण, यदि कोई हो, और ऐसी जानकारी क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीआईबीआईएल), क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) और इस संबंध में अधिकृत किसी भी अन्य एजेंसी के साथ साझा की जा सकती है।

12. FATCA

ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा यह माना और स्वीकार किया जाता है और एतद द्वारा पुष्टि की जाती है कि ऋणग्राही भारत का/के नागरिक और स्थायी निवासी हैं/हैं और भारत की कर व्यवस्था के अधीन हैं/हैं।

13. परिस्पष्टीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'आय की पहचान, परिस्पष्टीकरण वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर विवेकपूर्ण मानदंड - स्पष्टीकरण' पर 12 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार, उधारकर्ता ऋण वर्गीकरण संरचना संदर्भ के लिए आईआईएफएल वेबसाइट <https://www.iifi.com/SMAClassification> पर जा सकते हैं।

14. ऋणग्राही के पते में परिवर्तन/अद्यतनीकरण

- a. ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा यह माना और स्वीकार किया जाता है कि अगर आधार संख्या या पैन से संबंधित ऋणग्राही की पहचान संबंधी जानकारी में वर्तमान पता नहीं है, तो ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा आधिकारिक तौर पर एक वैध दस्तावेज ('ओवीडी') प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें उसका वर्तमान पता है। अगर ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा प्रस्तुत किए गए ओवीडी में अद्यतन पता नहीं है, तो ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाएगा और पते के प्रमाण के सीमित प्रयोजन से यह ओवीडी माना जाएगा:
- i. किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, दूरभाष, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप वाली गैस, पानी का बिल) का जनोपयोगी सेवाओं का बिल जो दो महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए;
- ii. संपत्ति या नगरपालिका कर की रसीद;
- iii. सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), अगर उनमें पता है;
- iv. नियोक्ता से आवास आवंटन का पत्र जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या नियामकीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किया गया है और आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले इस प्रकार के नियोक्ताओं के साथ अवकाश और लाइसेंस अनुबंध।
- इसके अतिरिक्त, ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा पुष्टि की जाती है कि ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) को उपरोक्त दस्तावेज जमा करने के 3 (तीन) महीने की अवधि के भीतर वर्तमान पते के साथ अद्यतन आधार या ओवीडी प्रस्तुत करनी होगी।
- b. खाते की स्थापना के समय/उसके बाद ग्राहक द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में किसी को भी अद्यतन करने के लिए ग्राहक 30 दिनों के भीतर दस्तावेज जमा करेंगे और अद्यतन करेंगे।

15. शिकायत निवारण क्रियाचक्र

आईआईएफएल का निरंतर प्रयास है कि उधारकर्ताओं को सर्वोत्तम संभव सेवा और देखभाल प्रदान की जाए। किसी भी शिकायत (कर्मचारियों के व्यवहार के संबंध में चिंताओं सहित) की स्थिति में, ऋणग्राही (ऋणग्राहियों) द्वारा सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार सुबह 09.30 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच किसी भी समय नीचे बताए गए प्रतिनिधियों से संपर्क किया जा सकता है। ऋणदाता इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि समय पर शिकायत निवारण किया जाए। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपनी सभी शिकायतें सबसे पहले शिकायत निवारण अधिकारी सह - नोडल अधिकारी ('GRO/NO') के पास भेजें। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सभी शिकायतें सबसे पहले शिकायत निवारण अधिकारी सह प्रधान अधिकारी ('जीआरओ/एनओ') को संबोधित करें। जीआरओ/एनओ से संपर्क का विवरण नीचे दिया गया है। शिकायत निवारण क्रियाचक्र से संबंधित अन्य विवरण www.iifi.com/finance/grievance-redressal-procedure पर दिए गए हैं।

पद नाम: शिकायत निवारण अधिकारी सह प्रधान अधिकारी

पता: आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड, आईआईएफएल हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, टोड नं. 16वीं, फ्लॉट नं. बी23, ठाणे इंडस्ट्रियल एस्टेट एरिया, वांगले एस्टेट, ठाणे 400604

संपर्क नंबर: +91 22 4520 5810 / +91 22 6817 8410

ईमेल आईडी: nodalofficer@iifi.com

शिकायत निवारण: www.iifi.com/finance/grievance-redressal-procedure

जीआरओ/एनओ द्वारा शिकायत प्राप्ति की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर शिकायत का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें विनिर्दिष्ट जानकारी में किसी भी बदलाव 'लोकपाल योजना' अनुभाग के अंतर्गत www.iifi.com/finance/grievance-redressal-procedure पर अपडेट किया जाएगा।

यदि ऋणदाता को आवेदन देने की तिथि से एक महीने के भीतर GRO/NO से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, या यदि उधारकर्ता प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो 'भारतीय रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' के अनुसार समय-समय पर संशोधित ('लोकपाल योजना') के अनुसार उस लोकपाल को शिकायत की जा सकती है, जिसके क्षेत्राधिकार में ऋणदाता का कार्यालय स्थित है।

लोकपाल से संपर्क के विवरण और लोकपाल योजना की मुख्य विशेषताओं के लिए, ऋणदाता द्वारा अपनाई गई और हमारी वेबसाइट [https://www.iifi.com/finance/ombudsman-scheme](http://www.iifi.com/finance/ombudsman-scheme) लोकपाल योजना की एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है और हमारे जीआरओ/एनओ के पास भी उपलब्ध है।

16. **प्रतिभूतिकरण/असाइनमेंट**

उधारकर्ता ऋण/लेन-देन दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार, लाभ या दायित्वों को असाइन या ट्रांसफर नहीं करेगा। उधारकर्ता सहमत होता है कि आईआईएफएल किसी भी समय, उधारकर्ता की सहमति या बिना किसी सूचना के, जिसमें संग्रह, बकाया की वसूली, सुरक्षा का प्रवर्तन, उधारकर्ता/संपत्तियों की किसी भी जानकारी को प्राप्त करना या सत्यापित करना और आईआईएफएल के निर्णय के अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूतिकृत, बिक्री, असाइन, डिस्काउंट या ट्रांसफर करने का हकदार होगा।

17. **सेवा प्रदाता**

आईआईएफएल अपने विवेकाधिकार पर किसी भी व्यक्ति/तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता/एजेंट/एजेंसी की सेवाओं को संलग्न करने/प्राप्त करने के लिए हकदार होगा, जो ऋण के संबंध में/के लिए/के अनुसरण में किसी भी चीज़ के लिए आवश्यक है, जिसमें संग्रह, बकाया की वसूली, सुरक्षा का प्रवर्तन, उधारकर्ता/संपत्तियों की किसी भी जानकारी को प्राप्त करना या सत्यापित करना और आईआईएफएल द्वारा उपयुक्त समझे गए किसी भी आवश्यक या आकस्मिक कानूनी कार्य/कर्म/मामले और उनसे संबंधित चीज़ें शामिल हैं।

18. **इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन**

- a. उधारकर्ता की सुविधा के लिए, उधारकर्ता एक बार के पासवर्ड, एक्सेस कोड या अन्य सुरक्षित प्रमाणीकरण विधियों के माध्यम से ऋण और ऐसे ऋण की शर्तों (जिसमें स्वीकृति पत्र और ये ऋण शर्तें और नियम शामिल हैं) को स्वीकार करने की सहमति प्रदान करता है।
- b. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि एक बार के पासवर्ड, एक्सेस कोड या अन्य सुरक्षित प्रमाणीकरण विधियों की प्राप्ति पर, आईआईएफएल यह मान लेगा कि ऐसा प्रमाणीकरण उधारकर्ता द्वारा प्रदान किया गया है और यह एकमात्र उधारकर्ता की जिम्मेदारी है कि एक बार के पासवर्ड, एक्सेस कोड या अन्य सुरक्षित प्रमाणीकरण विधियों को किसी भी अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के साथ साझा न किया जाए या इससे समझौता न किया जाए।
- c. आईआईएफएल की यह जिम्मेदारी नहीं होगी कि वह किसी भी लेन-देन या निर्देश की प्रामाणिकता की सत्यता की जांच करे, जो उधारकर्ता से प्राप्त हुआ है या प्राप्त होने का दावा किया गया है या उधारकर्ता द्वारा भेजा गया है, सिवाय एक बार के पासवर्ड, एक्सेस कोड या अन्य सुरक्षित प्रमाणीकरण विधियों के सत्यापन के माध्यम से। एक बार के पासवर्ड, एक्सेस कोड या अन्य सुरक्षित प्रमाणीकरण विधियों के उपयोग के संबंध में आईआईएफएल के सभी रिकॉर्ड लेन-देन की प्रामाणिकता और सटीकता का निर्णायक प्रमाण होंगे और उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होंगे।
- d. उधारकर्ता यह जानता है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार में कुछ जोखिम शामिल होते हैं, जिसमें डेटा में अनधिकृत बदलाव और/या तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत पहुंच शामिल है। उधारकर्ता सहमत है कि आईआईएफएल (लेकिन बाध्य नहीं होगा) उक्त कार्य बिना किसी जांच के उधारकर्ता की पहचान या प्राधिकरण के बारे में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संदेश की प्रामाणिकता के बारे में करेगा और इसे पूरी तरह से उधारकर्ता द्वारा अधिकृत और उधारकर्ता पर बाध्यकारी मानेगा। उधारकर्ता यहां आगे सहमत होता है कि आईआईएफएल को सुआवना देगा और किसी भी प्रकार के कार्यों, मुकदमों, कार्यवाहियों, लागतों, दावों, मांगों, शुल्कों, खर्चों, नुकसान और देनदारियों से उत्पन्न या किसी भी प्रकार से संबंधित सभी मामलों में हमेशा सुआवना देगा, जो कि आईआईएफएल ने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक निर्देश के अनुसार कार्य करने या न करने के परिणामस्वरूप किया है।

19. उधारकर्ता बताता है और पुष्टि करता है कि न तो उधारकर्ता का और न ही उधारकर्ता के इकाई बोर्ड या प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति का नाम और उधारकर्ता के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, (जैसा लागू हो) (एक साथ "प्रभारी व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जाएगा) विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में शामिल है। इसके अलावा, उधारकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करेगा जिसका नाम उधारकर्ता के बोर्ड पर या प्रभारी व्यक्ति के रूप में विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में आता है। यदि किसी प्रभारी व्यक्ति का नाम विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में आता है, तो उधारकर्ता ऐसे किसी भी प्रभारी व्यक्ति को हटाने के लिए प्रभारी कदम उठाएगा। किसी भी परिस्थिति में ऋणदाता कोई नया ऋण तब तक प्रदान नहीं करेगा या मौजूदा ऋण सुविधाओं को नवीनीकृत/बढ़ा नहीं देगा, जब तक कि प्रभारी व्यक्ति का नाम विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में शामिल है।

20. **संदिग्ध/धोखाधड़ी गतिविधि के मामले में जांच -**

- a. गलत काम या धोखाधड़ी गतिविधि के किसी भी संदेह/संकेत के मामले में, ऋणदाता को अपने विवेक पर, उधारकर्ता के खाते में आगे की जांच के लिए ऋणदाता की आंतरिक नीति के अनुसार बाहरी ऑडिट या आंतरिक ऑडिट का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
- b. ऐसे मामलों में जहां ऐसी ऑडिट रिपोर्ट अनिर्णीत रहती है और/या उधारकर्ता द्वारा असहयोग के कारण विलंबित होती है, ऋणदाता को अपने रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी और ऐसे मामलों में अपने आंतरिक जांच/मूल्यांकन के आधार पर उधारकर्ता के खाते की स्थिति को धोखाधड़ी या अन्यथा मानने का अधिकार होगा। ऋणदाता, अपनी समूह कंपनियों और/या अपने साथ रखे गए उधारकर्ता की संबंधित पक्षकारों के ऋण खातों की, अपने विवेक पर, आगे की जांच करने का भी हकदार होगा।
- c. ऐसे किसी भी धोखाधड़ी वाले उधारकर्ताओं और व्यक्तियों/संस्थाओं/संबंधित संस्थाओं/ऐसी संस्थाओं से जुड़ी समूह कंपनियों को धन जुटाने और/या ऋणदाता सहित आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय संस्थाओं से अतिरिक्त ऋण सुविधाएं मांगने से, धोखाधड़ी की गई राशि/देय राशि की पूर्ण चुकोती की तारीख पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऋणदाता इस तरह की धोखाधड़ी के विवरण को उचित अधिकारियों को रिपोर्ट करने का हकदार होगा, जिसमें आरबीआई और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। ऋणदाता के पास पांच वर्ष की उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी ऋण सुविधाओं के लिए ऐसे अनुरोधों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का एकमात्र विवेक होगा।

21. **ऋण की राशि का अंतिम उपयोग**

ऋणदाता ऋण की राशि के अंतिम उपयोग की बाटीकी से निगरानी करेगा और वह उधारकर्ता से अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है। उधारकर्ता द्वारा गलत प्रमाणीकरण के मामले में, ऋणदाता उधारकर्ता के खिलाफ जहां भी आवश्यक हो, आपराधिक कार्यवाही सहित उचित कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है। इसके अलावा, ऋणदाता को उधारकर्ता की लागत पर, उधारकर्ता द्वारा या अपने विवेक से धन के अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग के संबंध में उधारकर्ता के ऑडिटर से विशिष्ट प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। ऋणदाता ऐसे विशिष्ट प्रमाणीकरण के लिए उधारकर्ता के ऑडिटर द्वारा दिए गए प्रमाणन पर भरोसा किए बिना अपने स्वयं के ऑडिटर को नियुक्त कर सकता है।

22. **गारंटी**

उपरोक्त प्रावधान के विपरीत किसी भी बात के बावजूद, यदि सुविधा या उसका कोई हिस्सा किसी 'गारंटी योजना' के तहत शामिल होने के लिए पात्र है, तो ऋणदाता को उधारकर्ता को नोटिस दिए बिना, ऋण जोखिम को, भागीदारी के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के साथ सुविधा का संपूर्ण या आंशिक हिस्सा साझा करने का अधिकार होगा। इस तरह की भागीदारी के बावजूद, लेन-देन के दस्तावेजों की शर्तें तब तक वैध, प्रभावी और लागू करने योग्य बनी रहेंगी जब तक कि ऋणदाता, सुविधा और उसके संबंध में संपूर्ण राशि का पूर्ण पुनर्भुगतान/भुगतान नहीं हो जाता। उधारकर्ता किसी भी कारण से ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध की गोपनीयता का दावा नहीं करेगा।

ओटीपी द्वारा हस्ताक्षरित : 136922531
कर्मचारी की आइडी और नाम : c243690-Shabnam Ramzan Qureshi
दिनांक और समय : 21/Aug/2025 15:05

ओटीपी के माध्यम से हस्ताक्षरित : 136922592
दिनांक व समय : 21/Aug/2025 15:06 PM
स्थान : Mumbai

कर्मचारी की घोषणा

ऋणग्राही(ऋणग्राहियों) के हस्ताक्षर

पंजीकृत कार्यालय

आईआईएफएल हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड सं. 16V,
प्लॉट नं. बी-23, ठाणे औद्योगिक क्षेत्र, वांगले एस्टेट, ठाणे - 400 604.
दूरभाष: (91-22) 4103 5000 | फैक्स: (91-22) 2580 6654

मुख्य व्यावसायिक कार्यालय

802, 8वीं मंजिल, हब टाउन सोलरिस, एन.एस.फडके मार्ग,
विजय नगर, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 069
दूरभाष: (91-22) 6788 1000 | फैक्स: (91-22) 6788 1010 | ई-मेल: reach@iifl.com | वेबसाइट: www.iifl.com

स्वीकृति पत्र-सह-स्वर्ण जमा रसीद

व्यक्तिगत विवरण

आवेदक का नाम Mr. Shivam Ravindra Pratap Tripathi	वैवाहिक स्थिति UNMARRIED	माँ का नाम Manju	 ऋणग्राही की तस्वीर			
लिंग Male	पैन/फॉर्म 60 BCKPT5514K	जीवनसाथी का नाम -				
योग्यता GRADUATE	पिता का नाम Ravindra	कितने सालों से वर्तमान निवास पर निवासरत हैं। 15.05				
जन्मतिथि 25/08/1998	विवाह पूर्व उपनाम Ravindra Pratap	आवासीय पता ☐ पत्राचार का प्राथमिक पता milind nagar				
मोबाइल नं. *****6595	ई-मेल आईडी -	शहर Mumbai	पिनकोड 400055	राज्य Maharashtra	लैंडमार्क vakola pipe line	
आवासीय दूरभाष -		स्थायी पता ☒ संचार का प्राथमिक पता milind nagar	शहर Mumbai	पिनकोड 400055	राज्य MH	लैंडमार्क vakola pipe line
कार्यालय दूरभाष -						

बंधक रखी गई वस्तुओं का विवरण (सोने के आभूषण और अन्य वस्तुएँ)

विवरण	इकाइयाँ	कैरट	कुल वजन (ग्राम)
MangalSutra	1.00	20	28.53
Total			28.53



एमआईटीसी (MITC) स्वीकृति पत्र -सह-स्वर्ण जमा रसीद का एक हिस्सा बनेगा।

दिनांक 21/Aug/2025 15:06 PM

ओटीपी द्वारा हस्ताक्षरित : 136922531
कर्मचारी की आईडी और नाम : c243690-Shabnam Ramzan Qureshi
दिनांक और समय : 21/Aug/2025 15:05

कर्मचारी की घोषणा

ओटीपी के माध्यम से हस्ताक्षरित : 136922592
दिनांक व समय : 21/Aug/2025 15:06 PM
स्थान : Mumbai

ऋणग्राही(ऋणग्राहियों) के हस्ताक्षर

सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (एमआईटीसी)

विवरणिका संख्या GL41398463

1. हम नीचे दिये गये ऋण की मंजूरी के लिए जमा किये गये आवेदन फार्म दिनांक 21/Aug/2025 15:06 PM का संदर्भ यहां दे रहे हैं।
2. उधारकर्ता स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि नीचे उल्लिखित ऋण के लिए आवेदन में सबसे महत्वपूर्ण शर्तें और नियम हैं (जो उधारकर्ता पर ऋण के संबंध में लागू होंगे) और इन्हें आवेदन पत्र और मानक शर्तों (स्वर्ण ऋण) के साथ मिलकर पढ़ा जाना चाहिए।

ऋणग्राही Mr. Shivam Ravindra Pratap Tripathi अवधि 24 months गणना की विधि Simple Interest उद्देश्य Consumptions गिरवी स्वर्ण आभूषणों को ऋण को सुरक्षित करने के लिए आईआईएफएल के पास जमा किया गया है और केवल गिरवी रखे गए सामान के स्वर्ण घटक को मूल्यांकन पर विचार के योग्य माना जाएगा। मार्जिन (MTM) उधारकर्ताको यह सुनिश्चित करना होगा कि कुल बकाया राशि हमेशा गिरवी रखे गए सामान के मूल्य का 90 प्रतिशत से अधिक न हो या समय-समय पर ऋणदाता द्वारा निर्धारित ऐसा अन्य प्रतिशत न हो नीलामी लेन-देन दस्तावेज की शर्तों का उल्लंघन होने पर आईआईएफएल अपनी नीति के अनुसार स्वर्ण की नीलामी कर सकता है।	सुविधा Gold loan ब्याज की दर 27.00 % p.a. at a fixed rate of interest संवितरण की विधि IMPS ब्याज भुगतान चक्र Nine-Month	मूलधन की राशि ₹ 52,000.00 पहले ब्याज की भुगतान तिथि 21/05/2026 # मूलधन भुगतान की तिथि 21/08/2027
---	--	---

#इसके बाद ब्याज भुगतान की दिये तिथियाँ ब्याज भुगतान चक्र के अधीन होंगी।

शुल्कों की अनुसूची (सभी कर सहित)

विवरण	प्रसंस्करण शुल्क	समापन और आंशिक भुगतान शुल्क	एमटीएम शुल्क	बकाया सूचना शुल्क* #	नीलामी शुल्क*	राज्य के अनुसार लागू पूर्वतांकन शुल्क	एसएमएस शुल्क प्रति तिमाही	बकाया राशि दंडात्मक शुल्क शुल्क
राशि / प्रतिशत	₹ 59.00	0.00 %	₹ 500	₹ 200 per Notice	₹ 1500	₹ 0.00	₹ 5.90	0.5 % p.m. (6 % p.a.)

* बकाया सूचना शुल्क और नीलामी शुल्क के संयुक्त उगाही प्रति ग्राहक लोन खाता ₹ 1500 तक सीमित होगी

(07/03/2024 से प्रभावी) (90 दिन में एक बार)

ब्याज का पूर्व भुगतान करने पर लागू छूट और दरों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

अगर भीतर भुगतान किया जाता है	छूट का प्रतिशत	प्रभावी ब्याज दर प्रति वर्ष	प्रभावी ईएमआई प्रति माह
1-30 days	4.08 %	22.92 %	₹ 993
31-60 days	1.80 %	25.20 %	₹ 1092
> 61 days	0.00 %	27.00 %	₹ 1170

3. उधारकर्ता यह समझता है कि ऋणदाता ने जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण अपनाया है, जिसे ग्राहकों की प्रोफाइल और विभिन्न अन्य मापदंडों को ध्यान में रखकर तय किया गया है। नीति विवरण के लिए देखें www.iifl.com/finance/interest-rate-policy.
4. उधारकर्ता यह स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि उसने प्रत्येक लेन-देन दस्तावेज की एक प्रति प्राप्त की है और सहमत है कि यह एमआईटीसी (MITC) लेन-देन दस्तावेज का हिस्सा है।
5. उधारकर्ता यह समझता है कि सभी भुगतान रसीदें केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान की जाती हैं। यदि भौतिक प्रति की आवश्यकता हो, तो निकटतम आईआईएफएल शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

संपाश्रिक से जुड़े मूल और टॉप-अप ऋण खाते

विवरणिका सं.	संवितरण की तिथि	बकाया ऋण	प्रति वर्ष ब्याज दर.	अवधि
GL41398463	21/08/2025	₹ 52000.00	27.00 %	24 Months
Total		₹ 52000.00		

ओटीपी द्वारा हस्ताक्षरित : 136922531
कर्मचारी की आईडी और नाम : c243690-Shabnam Ramzan Qureshi
दिनांक और समय : 21/Aug/2025 15:05

कर्मचारी की घोषणा



ओटीपी के माध्यम से हस्ताक्षरित : 136922592
दिनांक व समय : 21/Aug/2025 15:06 PM
स्थान : Mumbai

ऋणग्राही(ऋणग्राहियों) के हस्ताक्षर

उधारकर्ता इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ऋण दस्तावेजों, जिसमें मानक शर्तें और नियम शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, को एक्सेस और देख सकता है।

किसी भी मदद या सहायता के लिए टोल फ्री नं: 1860-267-3000 / 7039-050-000 पर कॉल करें या ई-मेल : gold-helpline@iifl.com पर ई-मेल करें।
कृपया उचित व्यवहार संहिता के लिए हमारी वेबसाइट/शाखा पर नोटिस बोर्ड का अवलोकन करने के लिए और योजनाओं/लागू ब्याज दर के लिए हमारी निकटतम शाखा पर पधारें।

पंजीकृत कार्यालय

आईआईएफएल हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड सं. 16V,
प्लॉट नं. बी-23, ठाणे औद्योगिक क्षेत्र, वांगले एस्टेट, ठाणे - 400 604.
दूरभाष: (91-22) 4103 5000 | फैक्स: (91-22) 2580 6654

मुख्य व्यावसायिक कार्यालय

802, 8वीं मंजिल, हब टाउन सोलरिस, एन.एस.फडके मार्ग,
विजय नगर, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 069
दूरभाष: (91-22) 6788 1000 | फैक्स: (91-22) 6788 1010 | ई-मेल: reach@iifl.com | वेबसाइट: www.iifl.com

शुद्धता प्रमाणपत्र

ग्राहक का नाम

Shivam Ravindra Pratap Tripathi

प्रॉस्पेक्ट नंबर

GL41398463

शाखा का नाम

MUMBAI NM-BHAYANDAR EAST
NAVGHAR PHATAK ROAD GL

वितरण तिथि

21 Aug 2025

हम प्रमाणित करते हैं कि हमने कथित लोन के समक्ष गिरवी रखे गये सोने का मूल्यांकन किया है और उसकी प्रमाणित शुद्धता (कैरेट में) और वजन इस प्रकार हैं

क्रमांक	प्रकार	विवरण	इकाइयाँ	कुल वजन (ग्राम)	सकल वजन (ग्राम)	शुद्धता (कैरेट)	शुद्ध वजन (ग्राम)
1	Jewel (With Solder)	MangalSutra	1	28.53	24.25	20.00	21.94

OTP द्वारा हस्ताक्षरित : 136922531

कर्मचारी की आइडी और नाम : c243690-Shabnam Ramzan Qureshi
दिनांक और समय : 21/Aug/2025 15:05

कर्मचारी की घोषणा

मुख्य तथ्य विवरण (की फैक्ट स्टेटमेंट)

भाग 1 (ब्याज दर और फीस/प्रभार)

Annex A

1	ऋण प्रस्ताव/खाता संख्या		GL41398463	ऋण का प्रकार	Gold Loan	
2	ऋण की स्वीकृत राशि (रुपये में)				52000.00	
3	संवितरण की अनुसूची संवितरण, चरणों में या 100% अग्रिम				100% upfront	
4	ऋण की अवधि (वर्ष/माह/दिन)				24 Months	
5	किश्त का विवरण					
किश्तों का प्रकार		समान आवधिक किश्त (EPI) की संख्या		समान आवधिक किश्त (EPI) (₹)		पुनर्भुगतान की शुरुआत, मंजूरी के बाद
ब्याज - Nine-Month Repayment		2		10501.15/-		273 दिन
शेष ब्याज		1		6962.30		730 दिन
मूलधन - बुलेट पुनर्भुगतान		1		52000.00		730 दिन
6	ब्याज दर (%) और प्रकार (निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)			निश्चित ब्याज दर पर 27.00 % प्रतिवर्ष		
7	फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी					
रेफरेंस बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (B)	स्प्रेड (%) (S)	अंतिम दर (%) आर = (B) + (S)	रीसेट की आवश्यकता (महीना में)		रेफरेंस बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव ('आर' में 25 बीपीएस परिवर्तन के लिए, इसमें परिवर्तन करें:)
				B	S	EPI (₹)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8	फी/शुल्क					
			आईआईएफएल फाइनेंस (A) को देय		आईआईएफएल फाइनेंस (B) के माध्यम से किसी तीसरे पक्ष को देय	
		एकमुश्त /आवर्ती	राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो	एकमुश्त /आवर्ती	राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो	
(i)	प्रोसेसिंग फीस (GST सहित)	एकमुश्त	59.00	-	-	
(ii)	स्टाम्प ड्यूटी और अन्य वैधानिक शुल्क	एकमुश्त	0	-	-	
(iii)	बीमा शुल्क (GST सहित)	-	-	एकमुश्त	0.00	
9	वार्षिक प्रतिशत दर (APR) (%)*			28.14%		
10	आकस्मिक शुल्क का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)					
(i)	विलंबित भुगतान के मामले में बकाया राशि पर दंडात्मक शुल्क			0.5 % p.m. (6 % p.a.)		
(ii)	अन्य दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो			NA		
(iii)	फोनदारी शुल्क, यदि लागू हो			Minimum 7 days of interest if closed within 7 days		
(iv)	एसएमएस शुल्क प्रति तिमाही (GST सहित)			5.90 /-		
(v)	ऋणों को फ्लोटिंग से निश्चित दर में बदलने और इसके विपरीत के लिए शुल्क			NA		
(vi)	प्रति उदाहरण मार्क टू मार्केट (एमटीएम) शुल्क (GST सहित)			500/-		
(vii)	नीलामी का शुल्क* (GST सहित)			1500.00/-		
(viii)	अतिदेय होने पर नोटिस का शुल्क* # (GST सहित)			200/- per notice		

* बकाया सूचना शुल्क और नीलामी शुल्क के संयुक्त उगाही प्रति ग्राहक लोन खाता ₹ 1500 तक सीमित होगी
(07/03/2024 से प्रभावी) (90 दिन में एक बार)

ओटीपी के माध्यम से हस्ताक्षरित : 136922435
दिनांक व समय : 21/Aug/2025 15:05 PM
स्थान : Mumbai

ऋणग्राही(ऋणग्राहियों) के हस्ताक्षर

1	वसूली एजेंट की नियुक्ति से संबंधित ऋण समझौते का अनुभाग	लागू नहीं (विवरण के लिए मानक नियम एवं शर्तें अनुभाग 18 देखें)
2	ऋण समझौते का अनुभाग, जो शिकायत निवारण तंत्र का विवरण देता है	मानक नियम एवं शर्तें अनुभाग 16 देखें
3	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी	+91 22 4520 5810 / +91 22 6817 8410 nodalofficer@iifl.com https://www.iifl.com/finance/grievance-redressal-procedure
4	क्या ऋण को वर्तमान में, या भविष्य में, अन्य RE या प्रतिभूतिकरण में स्थानांतरित किया जा सकता है? (हाँ/ नहीं)	हाँ
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (उदाहरण के लिए, सह-उधार/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करने हो सकते हैं**:	
मूल RE का नाम, इसके फंडिंग अनुपात के साथ		भागीदार RE का नाम और उसकी फंडिंग का अनुपात
IIFL Finance Limited *** (0.00 %)		भागीदार RE * (0.00 %)
		मिश्रित ब्याज दर
		27.00 % p.a.
6	डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
(i)	RE की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निष्क्रिय समयावधि के दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	लागू नहीं
(ii)	रिकवरी एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत LSP का विवरण।	लागू नहीं

अस्वीकरण:

- * Canara Bank / DBS Bank India Limited / DCB Bank Limited / IDBI Bank Limited / Indian Overseas Bank / The Karur Vysya Bank Limited / The South Indian Bank Limited / UCO Bank / Union Bank of India / आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा सूचीबद्ध और समय-समय पर <https://www.iifl.com/co-lending-partners> पर अपडेट किए जाए अनुसार कोई अन्य सह-ऋण भागीदार। समय-समय पर जारी आरबीआई नियमों के अनुरूप, सहभागी आरई द्वारा 80% तक फंडिंग के अधीन।
- ** ऋण पर सह-उधार देना, भागीदार बैंक के विवेक पर निर्भर करेगा और बैंक निर्धारित करेगा की उसे ऋण स्वीकार करनी है/अस्वीकार करनी है। हालाँकि, यह अवधि के दौरान ऋण के आरओआई को प्रभावित नहीं करता है।
- *** समय-समय पर जारी आरबीआई नियमों के अनुरूप, मूल आरई के रूप में आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा न्यूनतम 20% फंडिंग के अधीन।

APR की गणना के लिए उदाहरण

क्रमांक	मापदंड	विवरण
1	ऋण की स्वीकृत राशि (रुपये में)	52000.00
2	ऋण की अवधि (वर्ष/महीने/दिनों में)	24 Months
a)	मूल राशि के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या	1
b)	EPI का प्रकार प्रत्येक EPI की राशि (रुपये में) और EPI की संख्या (जैसे, मासिक किश्तों के मामले में EPI की संख्या)	Nine-Month 10501.15/- x 2, Remaining Interest 6962.30
c)	पूँजीगत ब्याज के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या, यदि कोई हो	परिभाषित नहीं
d)	मंजूरी के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	273 दिन
3	ब्याज दर का प्रकार	निश्चित
4	ब्याज की दर	27.00 % p.a.
5	मंजूरी तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार ऋण की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली ब्याज की कुल राशि (रुपये में)	28080.00 /-
6	देय फीस/शुल्क (रुपये में)	59.00/-
A	IIFL फाइनेंस को देय	59.00/-
B	IIFL फाइनेंस के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	0.00/-
7	शुद्ध संवितरित राशि (रुपये में)	51941.00/-
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (रुपये में)	80080.00/-
9	वार्षिक दर, प्रतिशत में	28.14%
10	नियम एवं शर्तों के अनुसार संवितरण की अनुसूची	-
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की नियत तारीख	21/05/2026

ओटीपी के माध्यम से हस्ताक्षरित : 136922435
दिनांक व समय : 21/Aug/2025 15:05 PM
स्थान : Mumbai

ऋणग्राही(ऋणग्राहियों) के हस्ताक्षर

पुनः भुगतान की अनुसूची

किश्तों की संख्या	किश्त चुकाने की तारीख	बकाया मूल राशि (रुपये में)	मूल राशि (रुपये में)	ब्याज (रुपये में)	किश्त (रुपये में)
शुद्ध संवितरण					- 51941.00
1	21052026	52000.00	0	10501.15	10501.15
2	21022027	52000.00	0	10616.55	10616.55
3	21082027	0	52000.00	6962.30	58962.30
वार्षिक प्रतिशत दर* (APR)			28.14%		

*अस्वीकरण: वार्षिक प्रतिशत दर% (APR) संवितरण की तिथि के अनुसार उदाहरणात्मक है और पुनर्भुगतान व्यवहार के आधार पर बदल सकता है।

ओटीपी के माध्यम से हस्ताक्षरित : 136922435
दिनांक व समय : 21/Aug/2025 15:05 PM
स्थान : Mumbai

ऋणग्राही(ऋणग्राहियों) के हस्ताक्षर